विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 30 अगस्त, 2007 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की सत्रहवीं (17वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 30 अगस्त, 2007 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 366 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 142 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने सूचित किया कि इन अधिसूचित एसईजेड में 46705 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है तथा ये एसईजेड 40153 से अधिक व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि जून 2005 में एसईजेड अधिनियम 2005 के अधिनियमन के बाद एसईजेड अधिनियम से पूर्व अनुमोदित नई पीढ़ी के निजी / राज्य सरकार के एसईजेड में लगभग 15000 अतिरिक्त व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्त किया तथा इन मामलों में सटीक ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

3. उन्होंने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों सूचित किया कि 6 माह से भी अधिक समय पहले प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में सिफारिशें प्रदान करने के लिए 60 दिन की अवधि समाप्त हो गई है और यह कि सिफारिशें प्राप्त न होने के मामले में उन आवेदकों को निरसन पत्र जारी किए जाएंगे। इसके बाद चर्चा के लिए बैठक का एजेंडा लिया गया।

मुख्य एजेंडा

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. ग्राम रतनपुर और फिरोज़पुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गुजरात फाइनेंस सिटी डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा क्रम संख्या 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम रतनपुर और फिरोज़पुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुजरात फाइनेंस सिटी डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. नेशनल हाइवे नंबर 8, ग्राम कुकरोला और सेहरेवन, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 56.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए डीएस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा - क्रम संख्या 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नेशनल हाइवे नंबर 8, ग्राम कुकरोला और सेहरेवन, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 56.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डीएस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम सोहना, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सोहना बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा - क्रम संख्या 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सोहना, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोहना बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. दीमापुर, नागालैंड में 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, क्रम संख्या 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने दीमापुर, नागालैंड में 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए के लिए किसी विदेशी के होने या परियोजना में एफडीआई का प्रस्ताव किए जाने की स्थिति में गृह मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए बैगमाने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा - क्रम संख्या 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक का भूमि पर कब्जा है और सन्निकटता के मुद्दे का भी समाधान कर लिया गया है, जिसके कारण पिछली बैठकों में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था।

राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बैगमाने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. ग्राम सुरंगी, सिलवासा के पास, दादरा और नगर हवेली में 73.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 2 का क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और ग्राम सुरंगी, सिलवासा के पास, दादरा और नगर हवेली में 73.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

7. ग्राम कुरुकावला, रेणिगुंटा मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में 32.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम कुरुकावला, रेणिगुंटा मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में 32.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. दक्खिन खेरपुर, भगवानपुर ग्राम पंचायत के अधीन, थाना काशीपुर, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए अबेक्स इनफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा - क्रम संख्या 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने नालेज पार्क / आईटी एसईजेड के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है। तथापि, विकासक के कब्जे में केवल 40 एकड़ भूमि है, जबकि नालेज पार्क सेवा क्षेत्र एसईजेड है जहां 100 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने दक्खिन खेरपुर, भगवानपुर ग्राम पंचायत के अधीन, थाना काशीपुर, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 40 हेक्टेयर के

क्षेत्रफल में अबेक्स इनफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. ग्राम भीमसार, तालुक अंजार, जिला कच्छ, गुजरात में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पालीमर आधारित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए एशिया पैसिफिक कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम भीमसार, तालुक अंजार, जिला कच्छ, गुजरात में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एशिया पैसिफिक कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पालीमर आधारित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. बसंती हाइवे, भंगोर, दक्षिण 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में 10.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सलारपुरिया प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 10.27 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बसंती हाइवे, भंगोर, दक्षिण 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में 10.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सलारपुरिया प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. ग्राम सेवाह, जीटी रोड, पानीपत, हरियाणा में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मित्तल इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सेवाह, जीटी रोड, पानीपत, हरियाणा में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मित्तल इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि अधिसूचना जारी करने से पूर्व भूमि पर मौजूद अनधिकृत इमारत गिराई जाएगी।

12. ग्राम बिनोला, गुड़गांव, हरियाणा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए स्टारेक्स एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बिनोला, गुड़गांव, हरियाणा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टारेक्स एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

13. ग्राम सर्पवरम, काकीनाड़ा मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सर्पवरम, काकीनाड़ा मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. सर्वे नंबर 255, अधिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 30.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 255, अधिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 30.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. सर्वे नंबर 255, अधिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए काग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 255, अधिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में काग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. ग्राम खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में 10.44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गेरा डवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में 10.44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गेरा डवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. बड़ा बंगार्डा, इंदौर, मध्य प्रदेश में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक 18) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 118.16 हेक्टेयर के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है। तथापि, नोट किया गया कि केवल 20 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है। राज्य सरकार ने भी 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बड़ा बंगार्डा, इंदौर, मध्य प्रदेश में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. ग्राम अनंगी, मड्डीटाडू मंडल, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में 106.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भवन उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 2 की क्रम संख्या 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम अनंगी, मड्डीटाडू मंडल, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में 106.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा भवन उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

19. जंबूसर, भड़ूच, गुजरात में 1263 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग इरेक्शन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 2 का क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जंबूसर, भड़ूच, गुजरात में 1263 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में

मैसर्स स्टर्लिंग इरेक्शन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 135.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 2 का क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 135.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. गुजरात में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तेल एवं गैस, ऊर्जा और फर्मास्युटिकल के लिए उत्पाद एवं संबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गुजरात हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा का क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गुजरात में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुजरात हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी एसईजेड लिमिटेड द्वारा तेल एवं गैस, ऊर्जा और फर्मास्युटिकल के लिए उत्पाद एवं संबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम वर्षामेदी, तालुक अंजर, जिला कच्छ, गुजरात में 121 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए वेल्सपुन अंजर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा का क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वर्षामेदी, तालुक अंजर, जिला कच्छ, गुजरात में 121 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वेल्सपुन अंजर एसईजेड लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए किसी विदेशी के होने या परियोजना में एफडीआई का प्रस्ताव किए जाने की स्थिति में गृह मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सिलवान इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सिलवान इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. कोल्हार औद्योगिक क्षेत्र, बीदर जिला, कर्नाटक में 207.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए जाडे होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 13) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने कोल्हार औद्योगिक क्षेत्र, बीदर जिला, कर्नाटक में 207.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जाडे होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि औपचारिक अनुमोदन के लिए वापस आने के समय तक विकासक का निवल मूल्य 50 करोड़ रुपए या अधिक होना चाहिए।

5. औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 102 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 102 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. नागपुर, महाराष्ट्र में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 15) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने अब सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नागपुर, महाराष्ट्र में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. कांडला, गुजरात में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए एलएमजे वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 16) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने कांडला, गुजरात में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एलएमजे वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए परियोजना में किसी विदेशी कंपनी के होने या एफडीआई का प्रस्ताव किए जाने के मामले में गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त तथा औपचारिक अनुमोदन के लिए वापस आने के समय तक विकासक का निवल मूल्य 50 करोड़ रुपए या अधिक होने की शर्त के अधीन भी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) आस्थगन / निरसन / वापस लेने के लिए निर्णय :

1. मोहाली (एसएएस नगर) जिला, पंजाब में 11.627 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सुखम इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा की क्रम संख्या 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक से सन्निकटता के संबंध में तथा प्रस्तावित भूमि के अंदर मौजूदा सड़क नेटवर्क पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की क्रम संख्या 4) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने सिफारिश की समीक्षा की है तथा उसे वापस लेने का निर्णय लिया है। यह नोट करते हुए कि राज्य सरकार ने अपनी सिफारिश वापस ले ली है, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को वापस लिए गए प्रस्ताव के रूप में समझने का निर्णय लिया क्योंकि एजेंडा में केवल ऐसे प्रस्ताव सूचीबद्ध होते हैं जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत होते हैं।

3. ग्राम मोरखल सिलवासा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली में **12.16** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एईसी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक **17**) **:**

चूंकि राज्य सरकार की सिफारिश का औपचारिक संचार प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्रस्ताव को एजेंडा से हटा दिया गया। गृह मंत्रालय ने भी समुक्ति की है कि परियोजना में किसी विदेशी कंपनी या एफडीआई के शामिल होने के मामले में गृह मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त के अधीन अनुमोदन, यदि कोई हो, प्रदान किया जा सकता है।

4. ग्राम खैरीवली, वाडा तालुक, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 27.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सलोनी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा - क्रम संख्या 19) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि वे केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए सिफारिश कर रहे हैं क्योंकि कब्जा के अधीन भूमि के लिए मुंबई कास्तकारी कानून आदि के अंतर्गत कुछ अनुज्ञप्तियां अपेक्षित हैं। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा

मद संख्या 3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) डूंडाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड (तत्कालीन आईएसटी लिमिटेड) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स यूनीटेक लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने डूंडाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा में 11.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड (तत्कालीन आईएसटी लिमिटेड) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स यूनीटेक लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि नए नाम में भूमि प्रयोग परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है क्योंकि अभी तक नए नाम में भूमि अंतरित नहीं हुई है तथा प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार करना आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 4 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में नोकिया टेलीकॉम एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स नोकिया टेलीकॉम एसईजेड जो इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार और आईटी हार्डवेयर के निर्माण और संयोजन के लिए एसईजेड है तथा 19 जुलाई 2005 को अधिसूचित किया गया है, द्वारा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के अनुरोध पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित गतिविधियों / प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

(क) क्लीनिक / मेडिकल सेंटर / हॉस्पिटल - 100 बेड तक
(ख) क्रेच सहित कार्यालय स्थान / प्रशिक्षण / शैक्षिक संस्था जिसका कुल निर्मित क्षेत्र 25000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
(ग) कार्यालय स्थान / शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस आदि जो 50,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
(घ) 100 सर्विस अपार्टमेंट जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा।
(ङ) जिम एवं टेनिस कोर्ट जैसी खेल सुविधाएं
(च) फायर स्टेशन
(छ) मल्टी लेवल कार पार्किंग
(ज) बस बे

विकासक द्वारा अधिक से अधिक 200 कमरे वाले होटल के निर्माण के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। विकासक जिसे इस मुद्दे पर प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था, ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि एसईजेड जिसने 20000 से अधिक लोगों को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है, को 10 हेक्टेयर वाले छोटे आईटी / आईटीईएस एसईजेड के समान नहीं माना जा सकता है क्योंकि क्षेत्रफल 212 एकड़ है और उनका मूल्य कार्य मोबाइल फोन का निर्माण है। उन्होंने यह भी दलील दी कि नियमावली के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत के स्थान पर उनका प्रसंस्करण क्षेत्र 75 प्रतिशत में है। इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिक से अधिक 10000 वर्गमीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ 100 कमरों वाले होटल की अनुमति है। विकासक ने चेन्नई से अपने एसईजेड की दूरी तथा नोकिया के 7 अतिरिक्त वैश्विक वेंडर जो यहां अपनी यूनिटें स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, जिनको ऐसी सुविधा की आवश्यकता होगी, को ध्यान में रखते हुए 100 कमरों वाले होटल के निर्माण की आवश्यकता को उचित ठहराया। अनुरोध पर विस्तृत चर्चा करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड नोकिया फेसिलिटी का दौरा कर सकते हैं और संगत मानचित्रों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें होटल तथा अन्य सुविधाओं जैसे कि स्कूल, क्लीनिक / अस्पताल, कार्यालय स्थान / शॉपिंग अर्केड आदि जिनके लिए विकासक द्वारा अनुरोध किया गया है, के लिए प्रस्तावित निर्माण योजना का विस्तृत विवरण हो। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस अनुरोध पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 5 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए गणेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में 22 जून 2007 को अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड का क्षेत्रफल 21.11 हेक्टेयर से बढ़ाकर 32.42 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स गणेश इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया गया तथा मंजूरी प्रदान की गई।

(ii) हासन, कर्नाटक में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने हासन, कर्नाटक में फर्मास्युटिकल के लिए औपचारिक रूप से अनुमोदित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल 281.21 हेक्टेयर से घटाकर 109.29 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के अनुरोध पर विचार किया। चर्चा के बाद तथा राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iii) ननक्रमगुडा, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने ननक्रमगुडा, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड का क्षेत्रफल 20.53 हेक्टेयर से घटाकर 16.48 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स एपीआईआईसी के अनुरोध पर विचार किया तथा इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि घटाए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में विकासक और / या यूनिट (यूनिटों) द्वारा किसी भी गतिविधि में कोई कर लाभ नहीं लिया गया है।

मद संख्या 6 : नाम बदलकर मैसर्स बंगाल शपूरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स शपूरजी पलूनजी एंड कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नाम बलकर मैसर्स बंगाल शपूरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स शपूरजी पलूनजी एंड कंपनी लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 7 : पुथुव्यपीन में एसईजेड में जल क्षेत्र को जोड़ने के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के अनुरोध पर विचार करना आस्थगित कर दिया तथा निर्णय लिया गया कि विकासकों से अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुति देने के लिए कहा जा सकता है।

मद संख्या 8 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए एमार एमजीएफ का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने एमार एमजीएफ को प्रदान किए गए 10 सैद्धांतिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए उनके अनुरोध पर विचार किया और नोट किया कि सभी मामलों में वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध एलओए की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद किया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि ऐसे अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जिनकी वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और यदि विकासक चाहें तो वे नया आवेदन कर सकते हैं।

मद संख्या 9 : 5 साल की अगली अवधि के लिए मंजूरी पत्र के नवीकरण / विस्तार के लिए मैसर्स पालमोन एक्सपोर्ट्स, केएएसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने 5 साल की अगली अवधि के लिए मंजूरी पत्र के नवीकरण के लिए मैसर्स पलमोन एक्सपोर्ट्स, केएएसईजेड के अनुरोध पर विचार किया तथा यह देखते हुए कि वे मुख्य रूप से केवल घरेलू क्षेत्र में सेकंड हैंड / रिकंडीशंड माल की बिक्री कर रहे हैं, निर्णय लिया कि रिकंडिशनिंग की गतिविधियों को और विस्तार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

मद संख्या 10 : 5 साल की अगली अवधि के लिए मंजूरी पत्र के नवीकरण / विस्तार के लिए मैसर्स आल फेयर डील्स इंटरनेशनल, कांडला एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने 5 साल की अगली अवधि के लिए मंजूरी पत्र के नवीकरण / विस्तार के लिए मैसर्स आल फेयर डील्स इंटरनेशनल, कांडला एसईजेड के अनुरोध पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड तथा सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से नोट किया कि वे मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्र में सेकंड हैंड / रिकंडीशंड माल की बिक्री कर रहे हैं और निर्णय लिया कि डीटीए पर केन्द्रित रीकंडिशनिंग की ऐसी गतिविधियों के लिए और विस्तार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

मद संख्या 11 : नोएडा एसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स ग्लिट्ज ग्लोबल की अपील

अपीलकर्ता ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपने मामले को रखा और उस पर विचार करने का अनुरोध किया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि निवल मूल्य, वित्तीय क्षमता, यूनिट स्थापित करने की क्षमता, विपणन अनुबंध आदि के प्रमाण के अभाव में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन अस्वीकार किया गया है। विस्तृत चर्चा के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स ग्लिट्ज ग्लोबल की अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।